संख्या–1043/सत्तर–1–2022–16(9)/2018

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2022**

विषय– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति–व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–01/2020/17/सत्तर–1–2020–16(9)/2018 दिनांक 03 जनवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या–410/सत्तर–1–2020–16(9)/2018 दिनांक 04 मार्च, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति–व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

1. सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, तत्पश्चात अपरिहार्य परिस्थिति में ही स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।
2. जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा करये जाने उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाईस लगा होना अनिवार्य होगा।
3. परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याएं एक कक्ष में न्यूनतम् दो व जहॉ कक्षहाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जानें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रुप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर लगा होना अनिवार्य है।
4. विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
5. जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्ण प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इसक कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम् 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
6. जिन महाविद्यालयो के डाटर ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड न हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के अंतिम विकल्प के रुप में रखा जाय।
7. गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
8. जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा नहीं बनाया जाय।
9. परीक्षा केन्द्र पर वाय रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/ परीक्षण किया जा सके।
10. किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहॉ राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत

प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम आसिस्टेन्ट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।

11. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।
12. एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्ध तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रा पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी न लगायी जाय।
13. विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है, विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है तथा एक ही प्रबनध–तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।
14. जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए है तो केन्द्र व्यवस्था के रुप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहॉ के प्राचार्य डिबार है वहॉ वाह्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।
15. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आवंटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।
16. जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।

2. वर्तमान में आसन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं को पूर्वोक्त उद्देश्यों व शासन की जीरो टालरेन्स की नीति के अनुरुप सकुशल सम्पन्न करने के दृष्टिगत निम्नवत् अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. विश्वविद्यालय के कुलपति केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में पुनः अपने स्तर से समीक्षा कर लें व शासन के दिशा–निर्देशों के अनुपलान होने की स्थिति से आश्वस्त हो जायें।
2. विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर परीक्षा केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी तथा संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में उन्हें अवगत भी कराया जायेगा साथ ही तिथिवार परीक्षा कार्यक्रम भी उन्हें उपलब्ध कराते हुए सहयोग हेतु अनुरोध किया जायेगा।
3. परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारीगण से वर्चुअल माध्यम से बैठक कर प्रभावी रणनीति बनाये जाने हेतु विचार–विमर्श कर लिया जाय।
4. किसी भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र पर कोई भी प्रतिकूल घटना संज्ञान में आने पर कुलसचिव द्वारा तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया जायेगा तथा त्वरित कार्यवाही की जायेगी एवं शासन को अनिवार्य रुप से रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। इस हेतु कुलसचिव व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।
5. विश्वविद्यालय के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव द्वारा परीक्षा अवधि में प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण किया जायेगां।
6. विश्वविद्यालय द्वारा स्वच्छ छवि के अधिकारीगण के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में उडाकादल गठित किये जायें। आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को भी उड़ाकादल का नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है।
7. यथा आवश्यकता जिला विद्यालय निरीक्षक का भी सहयोग लिया जाय।
8. समस्त परीक्षा केन्द्रों परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक,

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज नोडल अधिकारी नामित किया गया है। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु निर्धारित किये गये प्रारुप पर निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ई0 मेल infodheup21@gmail.com पर दैनिक रुप से रात्रि 09.00 बजे तक सूचना प्रेषित की जाय।

निदेशक उच्च शिखा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र, छात्राओं, महाविद्यालयों के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रुप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय। यह ध्यातव्य है कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण, परीक्षाओं के संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता, अनुचित साधनों के नियंत्रण हेतु प्रदान किये गये निर्देशों से विचजन किये जाने,व्यतिक्रम होने या निर्देशों का उल्लंघ्ज्ञन किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगीं

संलग्नक–यथोपरि,

भवदीय
ह0/–
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव
संख्या–1043(1)/सत्तर–1–2022 दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 निदेशक, उच्च शिक्षा विाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6 कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
9 अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करे तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
10 गार्ड बुक।

आज्ञा से
(रामजन्म चौहान)
अनु सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः–1677/परीक्षा/2022 दिनांक : 13-4-22

प्रतिलिपिः– उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासन के उपरोक्त पत्र पत्र **संख्या–1043/सत्तर–1–2022–16(9)/2018** दिनांक 08.04.2022 के क्रम में संलग्न प्रारूप में प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कराने का कष्ट करें, जिससे उपर्युक्त मांगी गयी वांछित सूचना शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।
2 श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3 निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

4 सम्पादक दैनिक समाचार पत्र–हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/अमर उजाला/ आज एवं राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क जनहित में प्रकाशित कराने हेतु।

5 प्रभारी, एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ को इस आश्य के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6 निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

7 आशुलिपिक वित्तअधिकारी, वित्तअधिकारी जी को सूचनार्थ।

8 आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी को सूचनार्थ।

9 नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

13/4/22

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के अनुश्रवण हेतु प्रारुप

दिनांक–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम
परीक्षा की तिथि/पाली

परीक्षार्थियों की संख्या			अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या			अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही विषयवार				अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित महाविद्यालय के प्रबन्धन/शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मिकों/अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण			परीक्षा से सम्बन्धित किसी अप्रिय घटना होने अथवा न होने की सूचना
1			2			3				4			5
क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	
छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	कार्यवाही	अलग अलग संख्या	कुल	कार्यवाही	